उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1009/ग्यारह-2-22-9(42)/17-टी.सी.61-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(255)-2022

लखनऊः दिनांकः 17 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पचपनवां संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पचपनवां संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तारीख 5 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
नियम 21क का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 21क में, उपनियम (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- "परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन निलंबित किया गया हो और रजिस्ट्रीकरण, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा पहले से ही रद्द न किया गया हो वहां रजिस्ट्रीकरण का निलंबन सभी लंबित विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने पर वापस लिया गया समझा जाएगा;"
नियम 43 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम 43 के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "(घ) अधिसूचना क0नि0-2-1667/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(75)-2017 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 में विनिर्दिष्ट शुल्क प्रत्यय पावती पत्र के पूर्ति का मूल्य;"

नियम 46 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, नियम 46 में, खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- '(ध) नीचे दी गई एक घोषणा कि, उन सभी मामलों में, जहां ऐसे करदाता, जिसका 2017-18 से आगे किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, नियम 48 के उप नियम (4) के अधीन यथा अधिसूचित समग्र आवर्त से अधिक समग्र आवर्त है, के द्वारा नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति में बीजक जारी किया गया है, वहां नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं है । "मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं, कि यद्यपि 2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हमारा कुल कारोबार नियम 48 के उप-नियम (4) के अधीन अधिसूचित कुल कारोबार से अधिक है, फिर भी हमें उक्त उपनियम के उपबंधों के अनुसार बीजक तैयार करना अपेक्षित नहीं है।":';
नियम 86 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में, नियम 86 में, उपनियम (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "(4ख) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको, (क) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन; या (ख) नियम 96 के उपनियम (3) के अधीन, नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में, गलती से मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम को, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से स्वप्रेरणा से या बताए जाने पर ब्याज और शास्ति सहित, जहां कहीं लागू हो, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित करके जमा करता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई, गलती से मंजूर प्रतिदाय की रकम के समतुल्य रकम, समुचित अधिकारी द्वारा प्ररुप जीएसटी पीएमटी-03ए में किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में पुन: जमा कर दी जाएगी;"
नियम 87 का संशोधन	6.	उक्त नियमावली में, नियम 87 में, (क) उप नियम (3) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिए जाएंगे, अर्थात् :- "(iक) किसी बैंक से एकीकृत संदाय अंतरापृष्ठ (यूपीआई); (iख) किसी बैंक से तत्काल संदाय सेवा (आईएमपीएस);"; (ख) उप नियम (5) में, "वास्तविक समय निपटान" शब्दों के पश्चात् "या तत्काल संदाय सेवा" शब्द बढ़ा दिए जाएंगे;

नियम 88क का संशोधन	7.	उक्त नियमावली में, नियम 88क के पश्चात्, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित नियम बढ़ाया गया समझा जाएगा, अर्थात् :- **"88ख. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज संगणित करने की रीति. -** (1) यदि, जहां एक कर अवधि के दौरान कृत पूर्तियाँ, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अवधि के लिए विवरणी में घोषित की जाती हैं, और उक्त विवरणी धारा 39 के उपबंधों के अनुसार देय तारीख के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसी पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, उक्त विवरणी फाइल करने में देय तारीख के पश्चात् विलंब की अवधि के लिए, कर के ऐसे भाग पर की जाएगी जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित करके किया जाता है । (2) अन्य सभी मामलों में, जहां धारा 50 की उपधारा (1) के अनुसार ब्याज संदेय है, वहां ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए देय था से ऐसे कर का संदाय किए जाने की तारीख तक, कर की उस रकम पर, जो असंदत्त रहती है, की जाएगी । (3) उस दशा में, जहां गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर ब्याज, धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार संदेय है, वहां ब्याज की संगणना, ऐसे गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख से आरंभ होकर ऐसे प्रत्यय के उत्क्रमण या कर के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, धारा 50 की उक्त उपधारा (3) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, की जाएगी । *स्पष्टीकरण.* – इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, – (1) गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उपयोग उस समय कर लिया गया है जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम

		आता है और इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे उपयोग का परिमाण वह रकम होगी जितना इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम आता है । (2) ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख :- (क) वह तारीख मानी जाएगी जिसको धारा 39 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए विवरणी देय है या उक्त विवरणी के फाइल किए जाने की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, यदि इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष उक्त विवरणी के माध्यम से कर के संदाय के कारण, गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है; या (ख) सभी अन्य मामलों में, इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में विकलन की वह तारीख मानी जाएगी जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लाभ उठाए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है;"
नियम 89 का संशोधन	8.	उक्त नियमावली में, नियम 89 में, - (क) उपनियम (1) में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- '*स्पष्टीकरण.* - इन उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट अधिकारी" का तात्पर्य, विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 2 के अधीन यथापरिभाषित किसी "विनिर्दिष्ट अधिकारी" या किसी "प्राधिकृत अधिकारी" से है ।'; (ख) उपनियम (2) में, - (i) खंड (ख) में, शब्द "माल के निर्यात" के पश्चात् शब्द "विद्युत से भिन्न", बढ़ा दिए जाएंगे; (ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "(खक) उस दशा में, जहां प्रतिदाय विद्युत के निर्यात के कारण होता है, वहां, निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख अंतर्विष्ट करने वाला विवरण, निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरे, करार के अनुसार विद्युत के निर्यात के लिए प्रतियूनिट टैरिफ के साथ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

		(भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उपविनियम 1 के खंड (ढढढ) के अधीन क्षेत्रीय उर्जा लेखा (आरईए) के भाग के रुप में क्षेत्रीय विद्युत समिति सचिवालय द्वारा जारी उत्पादन संयंत्रों द्वारा निर्यातित विद्युत के लिए अनुसूचित ऊर्जा के विवरण की प्रति तथा निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरे प्रति यूनिट टैरिफ का उल्लेख करने वाले करार की प्रति;"; (ग) उपनियम (4) में, निम्नलिखित *स्पष्टीकरण* बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "स्पष्टीकरण. - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल का मूल्य निम्नलिखित के रुप में माना जाएगा - (i) पोत परिवहन पत्र और निर्यात पत्र (प्ररुप) विनियम 2017 के अनुसार, यथास्थिति, पोत परिवहन पत्र या निर्यात पत्र प्ररुप में घोषित फ्री ऑन बोर्ड मूल्य; या (ii) कर बीजक या प्रदाय पत्र में घोषित मूल्य, इनमें से जो भी कम हो."; (घ) उप नियम (5) में, शब्द "ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और अक्षर "{ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर X (शुद्ध आईटीसी ÷ इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर लिए गए आईटीसी)}." रख दिये जाएंगे;
नियम 95क का निकाला जाना	9.	उक्त नियमावली में, नियम 95क का 1 जुलाई, 2019 से निकाला गया समझा जाएगा;
नियम 96 का संशोधन	10.	उक्त नियमावली में, 1 जुलाई, 2017 से, नियम 96 में,- (क) उप नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया गया समझा जाएगा, अर्थात् :- "(ख) आवेदक ने प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है: परंतु यदि पोत परिवहन पत्र माल के निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

		और प्ररुप जीएसटीआर-। में जावक पूर्तियों के विवरण में प्रस्तुत आंकड़ों के बीच कोई अंतर है, तब, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए ऐसे आवेदन को उस तारीख को फाइल किया हुआ समझा जाएगा जब उक्त पोत परिवहन पत्र की बाबत ऐसा अंतर निर्यातकर्ता द्वारा ठीक कर दिया जाता है;" (ख) उपनियम (4) में, (i) खंड (ख) में, अंक "1962" के स्थान पर, अंक और शब्द "1962 या" रख दिये गए समझे जाएंगे; (ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढाया गया समझा जाएगा, अर्थात् :- "(ग) आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की, डाटा विश्लेषण और जोखिम पैरामीटरों के आधार पर, यह राय है कि निर्यातकर्ता के प्रत्यय पत्र का सत्यापन, जिसमें निर्यातकर्ता द्वारा आईटीसी का लिया जाना भी है, राजस्व के हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदाय की मंजूरी से पूर्व आवश्यक समझा जाता है."; (ग) उप नियम (5), निकाला गया समझा जाएगा । (घ) उप नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढाये गए समझे जाएंगे, अर्थात् :- "(5क) जहां प्रतिदाय उपनियम (4) के खंड (क) या खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है, वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रुप से, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जाएगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रुप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररुप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे पारेषण की तारीख को फाइल किया गया समझा जाएगा । (5ख) जहां प्रतिदाय उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है और सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी ऐसा कोई आदेश पारित

		करता है कि माल, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए निर्यात किया गया है वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रुप से, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जाएगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रुप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररुप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे पारेषण की तारीख को फाइल किया गया समझा जाएगा । (5ग) उपनियम (5क) और उपनियम (5ख) के अनुसार सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रुप से पारेषित प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन पर नियम 89 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;" (ड.) उपनियम (6) और उपनियम (7) निकाले गये समझे जायेंगे;
प्ररुप जीएसटीआर-3ख	11.	उक्त नियमावली में, प्ररुप जीएसटीआर-3ख में, (क) पैरा 3.1 के शीर्षक में शब्द "विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी" के पश्चात् कोष्ठक, शब्द और अंक "(उनसे भिन्न जो 3.1.1 के अंतर्गत आते हैं)" बढ़ा दिये जायेंगे; (ख) पैरा 3.1 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: - **"3.1.1 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9 की उपधारा (5) और एकीकृत माल और सेवाकर/संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर /राज्य माल और सेवाकर अधिनियमों में तत्स्थानी उपबंधों के अधीन अधिसूचित पूर्तियों के ब्यौरे।**

पूर्तियों की प्रकृति	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
(i) ऐसे कराधेय पूर्ति जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के					

		अधीन इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक कर का संदाय करता है (इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)					
		(ii) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय पूर्ति जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को कर का संदाय करने की आवश्यकता है (इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से पूर्ति करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए) ।";					

(ग) पैरा 3.2 में, शीर्षक में, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "**3.1(क)**" के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "**और 3.1.1(i)**"बढ़ा दिये जायेंगे;

(घ) पैरा 4 के अधीन सारणी में, स्तंभ (1) में, -

(i) मद (ख) में, उप-मद (1) के समक्ष की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्: -

"सीजीएसटी नियम के नियम 38, 42 और 43 और धारा 17 की उप-धारा (5) के अनुसार";

(ii) मद (घ) में, -

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्: -

"अन्य विवरण";

		(ख) उप-मद (1) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्: - "पुनः प्राप्त किया गया आईटीसी जिसे पहले की कर अवधि में सारणी 4(ख)(2) के अधीन वापस कर दिया गया था"; (ग) उप-मद (2) के समक्ष की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्: - "धारा 16(4) के अधीन अपात्र आईटीसी और पीओएस उपबंधों के कारण प्रतिबंधित आईटीसी"; (ङ) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 3 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - "(4) एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ), जिन पूर्तियों पर ईसीओ को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन कर भुगतान करने की आवश्यकता है को ऊपर 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और ऊपर 3.1.1(i) में ऐसी पूर्तियों को रिपोर्ट करेगा। (5) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ) के माध्यम से पूर्ति करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन पूर्तियों पर केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन ईसीओ को कर का भुगतान करने की आवश्यकता है को उपरोक्त 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और उपरोक्त 3.1.1(ii) में ऐसी पूर्तियों को रिपोर्ट करेगा।";
प्ररूप जीएसटीआर-9	12.	उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटीआर-9** में, शीर्षक अनुदेश के अधीन, - (क) पैरा 4 में, - क. शब्द, अक्षर और अंक "या वित्तीय वर्ष 2020-21" के पश्चात्, शब्द, अक्षर और अंक "या वित्तीय वर्ष 2021-22" बढ़ा दिये जायेंगे; ख. सारणी के, दूसरे स्तंभ में, - (I) क्रम संख्यांक 5घ, 5ङ और 5च के समक्ष, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: - `वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पृथक रूप से गैर-जीएसटी पूर्ति (5च) रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी पूर्ति को पृथक रूप से छूट- प्राप्त और शून्य रेटेड रिपोर्ट करने या केवल पंक्ति "छूट- प्राप्त " में इन दो छूट- प्राप्त और शून्य रेटेड

		शीर्षों के लिए समेकित जानकारी की आपूर्ति रिपोर्ट करने का विकल्प होगा ।'; (II) क्रम संख्यांक 5ज, 5झ, 5ञ और 5ट के समक्ष अंक और शब्द "2019-20 और 2020-21" के स्थान पर, अंक और शब्द "2019-20, 2020-21 और 2021-22" क्रमशः रख दिये जायेंगे; (ख) पैरा 5 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, - क. क्रम संख्यांक 6ख, 6ग, 6घ और 6ङ के समक्ष अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21" के स्थान पर, अक्षर, अंक और शब्द "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22" क्रमशः रख दिये जायेंगे; ख. क्रम संख्यांक 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के समक्ष अंक और शब्द "2019-20 और 2020-21" के स्थान पर अंक और शब्द "2019-20, 2020-21 और 2021-22" रख दिये जायेंगे; (ग) पैरा 7 में, - क. शब्द और अंक "अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, भाग 5 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारो जिनको अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में संदत्त किया गया है, की विशिष्टियों से मिल कर बना है।"; ख. सारणी में, दूसरे स्तंभ में, - (I) क्रम संख्या 10 और 11 के समक्ष, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी अर्थात्: - "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी पूर्ति में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे, किंतु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के **प्ररूप जीएसटीआर -1** की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किया जाएगा।";

		(II) क्रम संख्या 12 के समक्ष, - (1) "सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(ख) इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।", शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किन्तु अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(ख) इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।"; (2) अंक और शब्द "2019-20 और 2020-21" के स्थान पर अंक और शब्द "2019-20, 2020-21 और 2021-22" रख दिये जायेंगे; (III) क्रम संख्या 13 के समक्ष, - (1) "वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :- "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे, किन्तु जिनके लिए आईटीसी अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में लिया गया था, यहाँ घोषित किए जाएंगे। प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(क) का इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया था किन्तु जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण

		वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।"; (2) अंक और शब्द "2019-20 और 2020-21" के स्थान पर अंक और शब्द "2019-20, 2020-21 और 2021-22" रख दिये जायेंगे; (घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, - (क) क्रम संख्या (I) 15क, 15ख, 15ग और 15घ, (II) 15ङ, 15च और 15छ, के समक्ष, - अंक और शब्द "2019-20 और 2020-21" जहां कहीं आये हों, के स्थान पर अक्षर, अंक और शब्द "2019-20, 2020-21 और 2021-22" क्रमशः रख दिये जायेंगे ।"; (ख) क्रम संख्या 16क, 16ख और 16ग के समक्ष अंक और शब्द "2019-20 और 2020-21" जहां कहीं आये हों, के स्थान पर अंक और शब्द "2019-20, 2020-21 और 2021-22" क्रमशः रख दिये जायेंगे। "; (ग) क्रम संख्यांक 17 और 18 के समक्ष, - (I) शब्द, अक्षर और अंक "जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है।" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "वित्तीय वर्ष 2021-22 से, पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए छह अंकों के स्तर और पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपए तक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए सभी बी 2 बी आपूर्ति के लिए चार अंकों के स्तर पर एचएसएन कोड की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा" बढ़ा दिये जायेंगे; (II) अंत में निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 18 न भरने का विकल्प होगा।";

13. उक्त नियमावली में, शीर्षक अनुदेश के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर -9ग** में,-

(क) पैरा 4 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, अंक और शब्द "2019¬20 और 2020-21" जहां कही आये हों, के स्थान पर अंक और शब्द "2019-20, 2020-21 और 2021-22 " रख दिये जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 14 के समक्ष, अंक और शब्द "2019-20 और 2020-21" के स्थान पर, अंक और शब्द "2019-20, 2020-21 और 2021- 22" रख दिये जाएंगे;

14. उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03** के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

" प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03क

[देखें नियम 86(4ख)]

इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में राशि का पुनः क्रेडिट करने का आदेश

संदर्भ संख्या: तारीख:

1. जीएसटीएन-

2. नाम (विधिक) -

3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो

4. पता -

5. खाता जिसके विकलन से प्रविष्टि दावा प्रतिदाय के लिए किया गया था - नकद/ प्रत्यय खाता

6. विकलन प्रविष्टि सं. और तारीख -

7. भुगतान संदर्भ संख्या (डीआरसी 03):..... तारीख.....

8. भुगतान का विवरण:-

भुगतान का कारण	(अप्रयुक्त आईटीसी के गलत प्रतिदाय या आईजीएसटी के गलत® प्रतिदाय की राशि के लिए जमा)

प्रतिदाय मंजूरी आदेश का विवरण	1. शिपिंग बिल/ निर्यात बिल संख्या और तारीख 2. माल के निर्यात पर भुगतान की गई आईजीएसटी की राशि 3. आदानों की खरीद हेतु छूट/रियायती दर अधिसूचना का विवरण 4. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि 5. बैंक खाते में धनवापसी जमा करने की तारीख (या) 1. प्रतिदाय की श्रेणी और प्रतिदाय की सुसंगत अवधि 2. जीएसटी आरएफडी-01/01ए एआरएन और तारीख - 3. जीएसटी आरएफडी -06 आदेश संख्या और तारीख 4. दावा की गई प्रतिदाय की राशि 5. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि

10. पुनः क्रेडिट करने के आदेश की संख्या और तारीख, यदि कोई -

11. क्रेडिट राशि -

क्र.सं.	अधिनियम (केंद्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर)	क्रेडिट की राशि (रु.)					
		कर	ब्याज	दंड	शुल्क	अन्य	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

हस्ताक्षर

नाम

अधिकारी का पदनाम

टिंप्पण: 'केंद्रीय कर' का अर्थ केंद्रीय माल और सेवा कर है; 'राज्य कर' का अर्थ राज्य माल और सेवा कर है; 'संघ राज्यक्षेत्र कर' का अर्थ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है; 'एकीकृत कर' का अर्थ है एकीकृत माल और सेवा कर और 'उपकर ' का अर्थ है माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)";

15. उक्त नियमावली में, **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06** में,-

(क) संदाय का ढंग (सुसंगत भाग सक्रिय होगा जब विशिष्ट रूप में चयन किया जाए) शीर्षक के अधीन,

□ ई-संदाय (इसमें ई-संदाय के समस्त ढंग सम्मिलित होंगे जैसे सीसी/डीसी और नेट बैंकिंग) करदाता इसमें से एक का चयन करें।

से प्रारंभ होने वाले और "टिप्पणी- संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा पृथक रूप से संदाय किये जायं।," से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"□ ई-संदाय (इसमें ई-संदाय कै सभी ढंग सम्मिलित होंगे जैसे सीसी/डीसी, नेट बैंकिंग और यूपीआई । करदाता इसमें एक का चयन करें ।)	□ अतिरेक पटल (ओटीसी)			□ आईएमपीएस
	बैंक (जहां नकद या लिखत निक्षेप किये जानेके लिए प्रस्तावित हैं)			
	लिखत के ब्यौरे			
	□ नगद	□ चैक	□ मांग ड्राफ्ट	

□ एनईएफटी/आरटीजीएस	
प्रेषण बैंक	
लाभार्थी का नाम	जीएसटी
लाभार्थी लेखा संख्या (सीपीआईएन)	< सीपीआईएन>
लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
लाभार्थी के बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	आरबीआई का आईएफएससी
रकम	

टिप्पण: बैंक प्रभार, यदि कोई हो, संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से संदत्त किए जाएंगे ।

□आईएमपीएस	
प्रेषण बैंक	
लाभार्थी का नाम	जीएसटी
लाभार्थी लेखा संख्या (सीपीआईएन)	< सीपीआईएन>
लाभार्थी के बैंक का नाम	< चयनित प्राधिकृत बैंक>

लाभार्थी के बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	< चयनित प्राधिकृत बैंक का आईएफएससी>
रकम	

टिप्पण: बैंक प्रभार, यदि कोई हो, संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से संदत्त किए जाएंगे । ";

(ख) संदत्त चालान सूचना शीर्षक के अधीन सारणी में शब्द, अक्षर और कोष्ठक "संदर्भ बैंक सं. (बीआरएन)/यूटीआर" के स्थान पर शब्द, अक्षर और कोष्ठक "संदर्भ बैंक सं.(बीआरएन)/यूटीआर/ आरआरएन" रख दिये जायेंगे;

16. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीपीएमटी-07 में, सारणी में,

(क) क्रम संख्यांक 6 के समक्ष, तीसरे स्तंभ में, "एनईएफटी/आरटीजीएस □" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"एनईएफटी/आरटीजीएस □	आईएमपीएस □"

(ख) क्रम संख्यांक 10 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"10क	पुन: प्राप्य संदर्भ संख्यांक (आर आर एन)- आई एम पीएस ।"	

17. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीपीएमटी-09 में, -

(क) कोष्ठक, शब्द और अंक "[नियम 87 (13) देखें]" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और अंक " [नियम 87 (13) देखें और नियम 87(14) देखें]" रख दिए जाएंगे ;

(ख) सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"4क	उसी पीएएन पर अंतरिती का जीएसटीआईएन";	

(ग) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"(6) सीजीएसटी/आईजीएसटी शीर्ष के अधीन नकद खाता में उपलब्ध रकम, यदि आवश्यकता हो, उसी पैन पर रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य करदाता को सीजीएसटी/आईजीएसटी शीर्ष के अधीन अंतरित की जा सकती है ।

(7) यदि अंतरक के इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर में असंदत्त देयता विद्यमान है तो रकम को अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी ।";

18. उक्त नियमावली में, प्ररूप -जीएसटी-आईएफडी-01 में, -

(क) कथन 3 में, सारणी में, लदान बिल /निर्यात का बिल शीर्षक के अधीन, स्तंभ 9 के पश्चात् निम्नलिखित स्तंभ बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"एफओबी मूल्य
9क";

(ग) कथन-3क के पश्चात्, निम्नलिखित कथन बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"कथन-3ख [नियम 89(2) (खक)]

प्रतिदाय का प्रकार: कर के संदाय के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी)

क्र.सं.	बीजक/दस्तावेज के ब्यौरे				आरईए ब्यौरे					प्रति टैरिफ रु. में इकाई (करार के अनुसार)	निर्यातित इकाई) (वर्ग सं. 5 और 10 में से निम्नतर)	रु. में निर्यातित विद्युत का मूल्य (11X12)
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	निर्यातित ऊर्जा (इकाइयां)	सृजित केंद्र	अवधि	संदर्भ सं.	तारीख	निर्यातित ऊर्जा अनुसूची (इकाइयाँ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												",

19. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआरएफडी-10 ख, तारीख 01 जुलाई, 2019 से निकाल दिया गया समझा जाएगा ।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव